न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 61/2022

तारीख 7.4.2022

भंवरलाल पुत्र नगजीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

............प्रार्थी

बनाम

01. मूलचन्द पुत्र मदनलाल व्यास जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. लालसिंह पुत्र भीमसिंह जाति रावणा राजपूत उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
03. बलवंत सिंह पुत्र मोडा सिंह जाति रावणा राजपूत उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
04. पवन सिंह पुत्र होकमीचन्द जाति रावणा राजपूत उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांकः 7.4.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी **भंवरलाल पुत्र नगजीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)** ने जरिये **अभिभाषक श्री रामफूल धाकड एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि कि **ग्राम केसुविलास पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 126 पर अंकित आराजी संख्या 278/156 रकबा 5.00 बीघा, आराजी संख्या 279/156 रकबा 5.00 बीघा कुल किता 02 रकबा 10.00 बीघा भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलिया खुर्द** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/– रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **ग्राम केसुविलास पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 126 पर अंकित आराजी संख्या 278/156 रकबा 5.00 बीघा, आराजी संख्या 279/156 रकबा 5.00 बीघा कुल किता 02 रकबा 10.00 बीघा भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया